मामलों का विवरण

पंजाब राज्य

वी.

पंजाब के राज्यपाल और एक अन्य को प्रधान सचिव

(2023 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1224) 10 नवंबर, 2023

**[**डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** सीजेआई**,** जे**.** बी**.** पारदीवाला और मनोज मिश्रा**,** जे**.** जे**.]**

हेडनोट्स

विचार के लिए विषयः(i) क्या राज्यपाल उन विधेयकों पर कार्रवाई रोक सकता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए हैं; (ii) क्या अध्यक्ष के लिए विधानसभा सत्र की बैठक फिर से बुलाना कानूनी रूप से अनुमत है जिसे स्थगित कर दिया गया है लेकिन जिसे स्थगित नहीं किया गया है।

भारत का संविधान**-**अनुच्छेद **200-**राज्यपाल एक प्रतीकात्मक प्रमुख है और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई को रोक नहीं सकता हैः

आयोजित किया गयाःराज्य के एक अनिर्बाचित प्रमुख के रूप में राज्यपाल को कुछ संवैधानिक शक्तियां सौंपी जाती हैं-हालांकि, इस शक्ति का उपयोग राज्य विधानमंडलों द्वारा कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है-नतीजतन, यदि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के मूल भाग के तहत सहमति को रोकने का फैसला करता है, तो कार्रवाई का तार्किक तरीका विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेजने के पहले परंतुक में इंगित पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना है-दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 200 के मूल भाग के तहत सहमति को रोकने की शक्ति को राज्यपाल द्वारा पहले परंतुक के तहत अपनाई जाने वाली कार्रवाई के परिणामी पाठ्यक्रम के साथ पढ़ा जाना चाहिए-यदि पहले परंतुक को इसके संयोजन में नहीं पढ़ा जाता है -





शासन के संसदीय स्वरूप के आधार पर-इसलिए, जब राज्यपाल अनुच्छेद 200 के मूल भाग के तहत सहमति को रोकने का निर्णय लेते हैं, तो जिस कार्रवाई का पालन किया जाना है, वह वह है जो पहले परंतुक में इंगित किया गया है-राज्यपाल यू/अनुच्छेद 168 विधायिका का एक हिस्सा है और संवैधानिक शासन द्वारा बाध्य है-तत्काल मामले में, पंजाब के राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई को रोकने का अधिकार नहीं था और उन्हें "जल्द से जल्द" कार्य

करना चाहिए-किसी भी स्थिति में, अध्यक्ष के लिए विधानसभा को फिर से बुलाना कानूनी रूप से अनुमत था क्योंकि (ए) स्थगन और सत्रावसान के बीच अंतर है। और (ख) अध्यक्ष को सदन की प्रक्रिया को विनियमित करने का अनन्य अधिकार क्षेत्र है।[पैरा 25,28]

भारत का संविधान**-**पंजाब विधानसभा **(**पंजाब विधान सभा**)** में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम **-**आर**. 16-**विधानसभा की एक बैठक को फिर से बुलाना**,** जिसे स्थगित नहीं किया गया है**,** कानून में अनुमत है और यह अध्यक्ष के अनन्य अधिकार क्षेत्र में हैः

आयोजित किया गयाःनियम 16 इंगित करता है कि विधानसभा को समय-समय पर अपने आदेश से स्थगित किया जा सकता है-यह हालांकि संविधान और नियमों के प्रावधानों के अधीन है-पहले परंतुक के संदर्भ में, एक दिन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन के प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है-विशेष रूप से, दूसरे परंतुक के संदर्भ में, अध्यक्ष को जनहित में उस तारीख से पहले विधानसभा की बैठक बुलाने का अधिकार है जिस तारीख तक इसे स्थगित किया गया है या अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद किसी भी समय स्थगित कर दिया गया है-इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रक्रिया के नियम स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति को मान्यता देते हैं जहां अध्यक्ष विधानसभा की बैठक को फिर से बुलाते हैं जिसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है लेकिन स्थगित नहीं किया गया है -[पारस 34,35,41] 779

पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल के लिए प्रधान सचिव और 780

भारत का संविधान**-**पंजाब विधानसभा **(**पंजाब विधान सभा**)** में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम**-**वर्तमान मामले में विवाद अनिवार्य रूप से राज्यपाल पर निर्भर करता है कि उन्होंने चार विधेयकों को हिरासत में लिया था जिन्हें विधानसभा द्वारा **20.06.2023** पर पारित किया गया थाः

आयोजित किया गयाःविधानसभा के सत्र की वैधता पर संदेह करने के लिए कोई वैध संवैधानिक आधार नहीं है जो 19.06.2023,20.06.2023 और 20.10.2023 पर आयोजित किया गया था-विधानमंडल के सत्र पर संदेह करने का कोई भी प्रयास लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरों से भरा होगा-अध्यक्ष, जिन्हें सदन के विशेषाधिकारों के संरक्षक और संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त प्राधिकारी के रूप में मान्यता दी गई है, जो सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं, सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अच्छी तरह से काम कर रहे थे-सदन का फिर से बुलाना प्रक्रिया नियमों के नियम 16 के दायरे में था-सदन के सत्र की वैधता पर संदेह करना राज्यपाल के लिए खुला संवैधानिक विकल्प नहीं है-विधानसभा में विधिवत निर्वाचित सदस्य होते हैं।[पैरा 44]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

रामदास अठावले बनाम भारत संघ और अन्य (2010) 3 एससीआर 1059:(2010) 4 एस. सी. सी. 1; एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ [1994] 2 एस. सी. आर. 644: (1994)

3 एस. सी. सी. 1-फॉलो किया गया।समशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य [1975] 1 एससीआर 814: (1974) 2 एससीसी

831 ; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम भारत संघ (2018) 7 एस. सी. आर. 1:(2018) 8 एससीसी

501 – पर भरोसा किया।

पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव के बीच लिखित याचिका (सिविल) संख्या 2023; तेलंगाना राज्य बनाम महामहिम के सचिव तेलंगाना राज्य के लिए माननीय राज्यपाल और ए. एन. आर. डब्ल्यू. पी. (सी)

2023 का सं. 333-निर्दिष्ट।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

नागरिक मूल न्यायनिर्णय:2023 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1224।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

रूपः

शादन फरासत, ए. ए. जी., गुरमिंदर सिंह, ए. जी./सीनियर एड., डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर एड., सुश्री नूपुर कुमार, अमित भंडारी, सुश्री नताशा माहेश्वरी, सुश्री मुस्कान नागपाल, एड.याचिकाकर्ता के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., सत्यपाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिनव मुखर्जी, श्रीमती बिहू शर्मा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई टेबल ऑफ कंटेंट *

आई. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि. **3 II.** प्रस्तुतियाँ. **7 III.** विश्लेषण. **9** ए. राज्यपाल एक प्रतीकात्मक प्रमुख होता है और ऐसा नहीं कर सकता।

द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई रोकें

राज्य विधानमंडल. 9 बी. विधानसभा की एक बैठक को फिर से बुलाना, जिसे स्थगित नहीं किया गया है, कानून में अनुमत है और यह अध्यक्ष के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है।

*एड। ध्यान दें:मूल निर्णय के अनुसार पृष्ठांकन।

781

पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल और अन्य के लिए प्रधान सचिव [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 782

1. स्थगन और सत्रावसान के बीच अंतर। 18 2.विनियमित करने के लिए अध्यक्ष का विशेष क्षेत्र

सदन की प्रक्रिया। 23

IV. निष्कर्ष. 26

1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को पंजाब राज्य द्वारा लागू किया गया है।पंजाब सरकार इस आधार पर व्यथित है कि राज्यपाल ने (i) विधानसभा द्वारा पारित किए गए चार विधेयकों को मंजूरी नहीं दी और न ही उन्हें वापस किया गया है और (ii) विधानसभा में कुछ धन विधेयकों को पेश करने के लिए सिफारिश प्रस्तुत की है।

## I. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

2. 22 फरवरी 2023 को पंजाब सरकार की मंत्रिपरिषद ने पंजाब के राज्यपाल को एक सिफारिश भेजी जिसमें 3 मार्च 2023 से शुरू होने वाले बजट सत्र के लिए पंजाब विधानसभा को बुलाने की मांग की गई।राज्यपाल द्वारा ऐसा करने से इनकार करने के कारण, इस आधार पर कि वह कानूनी सलाह ले रहे थे, 25 फरवरी 2023 को इस न्यायालय के समक्ष एक याचिका की स्थापना की गई। 28 फरवरी 2023 को इस न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।

पंजाब राज्य बनाम राज्यपाल के प्रधान सचिव में निर्णय

पंजाब का 1.इस न्यायालय ने कहा कि:"विधानसभा का बजट सत्र बुलाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर कानूनी सलाह लेने का कोई अवसर नहीं था।राज्यपाल स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद द्वारा उन्हें दी गई सलाह से बंधे थे।"

3. अपना निर्णय समाप्त करते समय, इस न्यायालय ने लोकतंत्र में परिपक्व राजनीतिक शासन के व्यापक पहलुओं पर निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"लोकतांत्रिक राजनीति में राजनीतिक भिन्नताओं पर काम करना होगा और संयम और परिपक्वता की भावना के साथ उन्हें सुलझाना होगा।संवैधानिक कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत एक दौड़ में परिवर्तित नहीं हो सकती है

1 2023 की रिट याचिका (सिविल) सं0302

नीचे तक।जब तक इन सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा जाता, तब तक संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति खतरे में पड़ सकती है।इस न्यायालय के समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राज्यपाल को विधानसभा बुलाने का निर्देश देने के लिए एक याचिका दायर की गई।यह अकल्पनीय है कि विधानसभा का बजट सत्र नहीं बुलाया जाएगा।हम केवल यह उम्मीद कर सकते हैं कि परिपक्व संवैधानिक कूटनीति यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों, क्योंकि हम अपनी इस उम्मीद को दोहराते हैं कि संवैधानिक अधिकारियों को उन कार्यालयों में जनता के विश्वास से अवगत होना चाहिए जिन पर वे कब्जा कर रहे हैं।जो सार्वजनिक न्यास उन्हें सौंपा गया है, उसका उद्देश्य हमारे नागरिकों के हितों की सेवा करना और यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्र के संबंध समानता की भावना के साथ संचालित किए जाएं ताकि संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।"

4. इस अदालत के फैसले के बाद, सोलहवीं पंजाब विधानसभा को 3 मार्च 2023 को बुलाया गया था।अध्यक्ष ने 22 मार्च 2023 को सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया।12 जून 2023 को, पंजाब विधानसभा (पंजाब विधान सभा) 2 में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 16 के दूसरे प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, अध्यक्ष ने 19 और 20 जून 2023 को विधानसभा के सत्र की बैठक फिर से बुलाई।सत्र के दौरान, विधानसभा ने चार विधेयकों को पारित किया, अर्थात्:

(i) सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक 2023;

(ii) पंजाब संबद्ध महाविद्यालय (सेवा की सुरक्षा) (संशोधन) विधेयक 2023;

((iii) पंजाब विश्वविद्यालय विधि (संशोधन) विधेयक 2023 और (iv) पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक 2023।

राज्यपाल ने इन विधेयकों पर कोई कार्रवाई नहीं की।

5. इसके बाद, 19 अक्टूबर 2023 को विधानसभा का सत्र फिर से बुलाने की मांग की गई क्योंकि निम्नलिखित तीन धन विधेयक पेश किए जाने थे:

2 "प्रक्रिया के नियम "

783

पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल और अन्य के लिए प्रधान सचिव [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 784

(i) पंजाब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2023;

((ii) पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2023; और (iii) भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) विधेयक 2023।

विधानसभा में विधेयक को पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 207 (1) के प्रावधानों के संदर्भ में राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता थी।

6. मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच पत्राचार हुआ।15 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को संबोधित करते हुए कहा कि हालांकि सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक 2023 को 26 जून 2023 को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया था, लेकिन तब तक इसे मंजूरी नहीं दी गई थी।17 जुलाई 2023 को अपने जवाब में राज्यपाल ने कहा किः“मुझे कानूनी सलाह प्राप्त हुई है जिससे मुझे विश्वास होता है कि जब इन चार विधेयकों को पारित किया गया था, तब आपने 'आईडी2' और 'आईडी1' पर विधानसभा सत्र बुलाना कानून और प्रक्रिया का उल्लंघन था "राज्यपाल ने इस तरह उन विधेयकों की वैधता और वैधता पर संदेह जताया।राज्यपाल ने कहा कि "प्राप्त कानूनी सलाह की पृष्ठभूमि में" वह सक्रिय रूप से विचार कर रहे थे कि क्या भारत के लिए महान्यायवादी की कानूनी राय प्राप्त की जाए "या संविधान के अनुसार, इन विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार और सहमति के लिए आरक्षित किया जाए।राज्यपाल ने कहा कि वह 19 और 20 जून 2023 को आयोजित विधानसभा सत्र की वैधता की पहली जांच के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

7. राज्यपाल ने 24 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री को एक और पत्र संबोधित किया जिसमें एक "संवैधानिक विशेषज्ञ" से प्राप्त "कानूनी राय का सार" जोड़ा गया था, जिसके अनुसार "इस तरह से बुलाया गया सदन धैर्यपूर्वक (एस. आई. सी.) अवैध था।"20 अक्टूबर 2023 से प्रस्तावित सोलहवीं पंजाब विधानसभा के चौथे बजट सत्र के विशेष सत्र में विचार के लिए तीन धन विधेयकों को राज्यपाल को भेजे जाने के बाद, राज्यपाल ने 19 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री को एक संदेश संबोधित किया।उन्होंने दोहराया कि 24 जुलाई 2023 और 12 अक्टूबर 2023 के अपने पिछले संचार में, उन्होंने संकेत दिया था कि सत्र का आह्वान "स्वीकृत प्रक्रियाओं और व्यवहार के खिलाफ, स्पष्ट रूप से अवैध था।



विधायिका का, और संविधान के प्रावधानों के खिलाफ।राज्यपाल ने कहाः

“जैसा कि बजट सत्र समाप्त हो गया था, इस तरह का कोई भी विस्तारित सत्र अवैध होने के लिए बाध्य है, और ऐसे सत्रों के दौरान आयोजित कोई भी कार्य गैरकानूनी और शुरुआत से ही अमान्य होने की संभावना है।इन संचारों के बावजूद, असंवैधानिक कदम उठाने की संभावना को नजरअंदाज करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया है।इन कारणों से मैं उपर्युक्त विधेयकों के लिए अपनी मंजूरी रोक रहा हूं।”

8. विशेष रूप से, राज्यपाल ने किसी भी सार्वजनिक अधिसूचना में 'घोषणा' नहीं की कि वह विधेयकों पर अपनी सहमति रोक रहे हैं।राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वे एक नए मानसून/शीतकालीन सत्र का आह्वान करें और संचालन के लिए विशिष्ट कार्य योजना निर्धारित

करने के लिए एक एजेंडा आगे बढ़ाएं ताकि वे कार्य करने के लिए सदन को बुलाने की अनुमति दे सकें।

9. राज्यपाल की निष्क्रियता से व्यथित पंजाब राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू किया।पंजाब राज्य चाहता हैः

(क) एक घोषणा कि पंजाब विधानसभा के 19 जून 2023,20 जून 2023 और 20 अक्टूबर 2023 को आयोजित सत्र वैध हैं और सदन द्वारा किया गया कार्य वैध है; और

(ख) तीन धन विधेयकों सहित जिन सात विधेयकों को राज्यपाल द्वारा लंबित रखा गया है, उन्हें कानून के अनुसार संसाधित किया जाना चाहिए।

10. इस न्यायालय ने 6 नवंबर 2023 को याचिका पर विचार किया।सुनवाई के दौरान, अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि याचिका की स्थापना के बाद, राज्यपाल ने सिफारिश की है कि तीन धन विधेयकों में से दो, अर्थात् पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2023 और भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) विधेयक 2023, विधानसभा के समक्ष पेश किए जा सकते हैं।

## **II.** प्रस्तुतियाँ

11. सुनवाई के दौरान, हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील 785 की दलीलें सुनी हैं।



जो पंजाब राज्य के महाधिवक्ता श्री गुरमिंदर सिंह के साथ पेश हुए।राज्यपाल के प्रधान सचिव की ओर से वरिष्ठ वकील श्री सत्यपाल जैन पेश हुए।

12. याचिकाकर्ताओं की ओर से जिन प्रमुख दलीलों का आग्रह किया गया है, वे हैंः

(क) यद्यपि विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च 2023 को बुलाया गया था, लेकिन अध्यक्ष द्वारा बिना सत्रावसान के 22 मार्च 2023 को इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

(ख) सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगन को राज्यपाल द्वारा सदन के सत्रावसान के रूप में नहीं माना जा सकता था;

(ग) अध्यक्ष नियम 16 के दूसरे परंतुक के तहत 19 और 20 जून 2023 को विधानसभा की बैठक को फिर से बुलाने में, विधानसभा को नियंत्रित करने वाले प्रक्रिया नियमों के प्रावधानों के अनुसार, संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कार्य कर रहे थे;

(घ) सदन में प्रक्रिया के नियमों और कार्य संचालन को विनियमित करना अध्यक्ष के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है।

(ई) राज्य के प्रतीकात्मक प्रमुख के रूप में राज्यपाल ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में अपनी संवैधानिक शक्तियों के दायरे में कार्य नहीं किया कि जून 2023 में विधानसभा के सत्र का पुनर्गठन असंवैधानिक था, जिससे 20 जून 2023 को किए गए विधायी कार्य को अमान्य कर दिया गया था; और

(च) अध्यक्ष के निर्णय का परिणाम उन विधानों को वस्तुतः रद्द करना है जो विधान सभा के सदस्यों के भारी बहुमत से पारित किए गए हैं।

13. दूसरी ओर, राज्यपाल के सचिव की ओर से यह आग्रह किया गया है किः

(i) बजट सत्र के कामकाज के बाद, सदन का सत्रावसान किया जाना आवश्यक था और अध्यक्ष के लिए कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के लिए खुला नहीं था, जिसे शुरू में 19 और 20 जून 2023 को और उसके बाद 19 और 20 अक्टूबर 2023 को फिर से बुलाया जाना था।



(ii) प्रक्रिया नियमों के नियम 14 ए के अनुसार विधानसभा में तीन सत्र आयोजित किए जाने चाहिए, अर्थात् बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र और इसलिए, अध्यक्ष के लिए जून 2023 के महीने में बजट सत्र जारी रखने की अनुमति नहीं थी।

(iii) राज्यपाल ने, वास्तव में, सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए 185 विधेयकों को मंजूरी दे दी है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि राज्यपाल की ओर से कोई देरी नहीं हुई है और यह केवल उस तरीके पर आपत्ति को देखते हुए है जिसमें सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था कि चार विधेयकों को मंजूरी रोक दी गई थी।

((iv) विधानसभा में तीन में से दो धन विधेयकों को पेश करने के लिए एस. यू. बी. एस. ई. क्यू. ई. एन. टी. एल. वाई. की सिफारिश;

(v) संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में दावा किए गए राहतों में, याचिकाकर्ता स्वयं यह घोषणा करने की मांग करते हैं कि 19 और 20 जून 2023 को आयोजित सत्र और जो कार्य किया गया था, वह वैध था, जो इस तथ्य का संकेत है कि पंजाब राज्य स्वयं सत्र की वैधता के बारे में अनिश्चित है; और

(vi) राज्यपाल को उन विधेयकों पर विचार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी जिनके संबंध में सहमति मांगी गई है यदि यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि बजट सत्र को कानूनी रूप से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था ताकि जून 2023 के महीने में फिर से बुलाया जा सके।

14. विचार के लिए दो मुद्दे सामने आते हैंःपहला, क्या राज्यपाल उन विधेयकों पर कार्रवाई रोक सकता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए हैं; और दूसरा, क्या अध्यक्ष को विधानसभा

सत्र की बैठक फिर से बुलाने की अनुमति है जो स्थगित कर दी गई है लेकिन जिसे स्थगित नहीं किया गया है।

**III.** विश्लेषण

उ**.** राज्यपाल एक प्रतीकात्मक प्रमुख है और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई को रोक नहीं सकता है।



15. लोकतंत्र के संसदीय रूप में वास्तविक शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होती है।राज्यों और केंद्र दोनों में सरकारों में राज्य विधानमंडल और, जैसा भी मामला हो, संसद के सदस्य शामिल होते हैं।मंत्रिमंडल के रूप में सरकार के सदस्य विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं और उनकी जांच की जाती है।राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल राज्य का नाममात्र प्रमुख होता है। संवैधानिक कानून का मूल सिद्धांत जिसका संविधान के लागू होने के बाद से लगातार पालन किया जा रहा है, वह यह है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' पर कार्य करता है, सिवाय उन क्षेत्रों के जहां संविधान ने राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने का काम सौंपा है।यह सिद्धांत संवैधानिक नींव के आधार को मजबूत करता है कि राज्य के शासन से संबंधित निर्णय लेने की शक्ति, या जैसा भी मामला हो, अनिवार्य रूप से सरकार की निर्वाचित शाखा के पास होती है। राज्यपाल का उद्देश्य एक संवैधानिक राजनेता होना है, जो संवैधानिक चिंता के मामलों पर सरकार का मार्गदर्शन करता है।16. निर्णय के बाद से ये सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित किए गए हैं

समशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य **3,** जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

“28. सरकार की कैबिनेट प्रणाली के तहत जैसा कि हमारे मंत्रिमंडल में सन्निहित है

संविधान राज्यपाल राज्य का संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होता है और वह संविधान द्वारा या उसके तहत उसे प्रदान की गई अपनी सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग उसकी सहायता और सलाह पर करता है।

मंत्रिपरिषद उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां राज्यपाल को संविधान द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से अपने कार्यों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है।...

32. यह अंग्रेजी संवैधानिक कानून का एक मौलिक सिद्धांत है कि मंत्रियों को प्रत्येक कार्यकारी कार्य के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।इंग्लैंड में संप्रभु कभी भी अपनी जिम्मेदारी पर काम नहीं करता है।संप्रभु की शक्ति इस व्यावहारिक नियम द्वारा सशर्त है कि क्राउन को अपने कार्य की जिम्मेदारी संभालने के लिए सलाहकारों को नियुक्त करना चाहिए।उन सलाहकारों के पास हाउस ऑफ कॉमन्स का अधिकार होना चाहिए।अंग्रेजी संवैधानिक कानून का यह नियम हमारे संविधान में शामिल है।द.

भारतीय संविधान में एक संसदीय और जिम्मेदार संगठन की परिकल्पना की गई है।

3 (1974) 2 एस. सी. सी. 831



केंद्र और राज्यों में सरकार का रूप और राष्ट्रपति सरकार का रूप नहीं।संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की शक्तियाँ अलग-अलग नहीं हैं।"

17. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 4 में इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया है कि संघवाद संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है।जिस तरह से राज्य के प्रतीकात्मक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की भूमिका निभाई जाती है, वह इस बुनियादी विशेषता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।राज्यपाल के विवेक के अधीन नहीं किए गए क्षेत्रों में बेलगाम विवेक का प्रयोग राज्य में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के कामकाज पर भारी पड़ने का जोखिम उठाता है।मामलों की एक स्थिर पंक्ति में इस न्यायालय ने संस्थानों के महत्व और लोकतांत्रिक कामकाज के लिए उनकी जीवंतता को मजबूत किया है।संघवाद और लोकतंत्र, दोनों मूल संरचना के अभिन्न अंग हैं। जब एक विशेषता को पतला किया जाता है तो यह दूसरे को खतरे में डाल देता है।हमारे नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रताओं और आकांक्षाओं को साकार करने के लिए लोकतंत्र और संघवाद का संयोजन महत्वपूर्ण है।जब भी ट्यूनिंग कांटे के एक हिस्से को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो यह संवैधानिक शासन के तंत्र को नुकसान पहुँचाता है।

**18.** राज्य **(**एन**.** सी**.** टी**.** दिल्ली**)** बनाम भारत संघ में**, 5** हम में से एक **(**डी**.** वाई**.**

जे. चंद्रचूड़) ने कहा:"287. … इन मामलों में लोकतांत्रिक शासन और संवैधानिक मूल्यों को पूरा करने में संस्थानों की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं।संविधान प्रत्येक व्यक्ति को जीवन शैली अपनाने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है जिसमें स्वतंत्रता, गरिमा और स्वायत्तता मूल रूप से होती है।संविधान एक लोकतांत्रिक राजनीति के माध्यम से इन मूल्यों को पूरा करने के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है।जिन विवादों के कारण ये मामले सामने आए, वे बताते हैं कि लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए संस्थान कितने महत्वपूर्ण हैं।इनके माध्यम से ही कानून के शासन पर आधारित लोकतांत्रिक जीवन शैली की आकांक्षाओं को पूरा किया जाता है।स्वतंत्रता, गरिमा और स्वायत्तता राज्य की शक्ति पर दबाव डाल रहे हैं।मौलिक

मानव स्वतंत्रता राज्य के अधिकार को सीमित करती है।फिर भी लोकतंत्र को प्राप्त करने में संस्थानों की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण नहीं है।शासन की संस्थाएं विफल होने पर राष्ट्र विफल हो जाते हैं।एक लोकतांत्रिक संस्थान का काम-काज राज्य कौशल **(**या इसकी कमी**)** से प्रभावित होता है।

4 (1994) 3 एस. सी. सी. 1.5 (2018) 8 एस. सी. सी. 501 789

यह उन लोगों द्वारा दिखाया गया है जिनमें मतदाता शासन करने के लिए विश्वास निहित करते हैं।

हमारे जैसे समाज में, जो संस्कृतियों की बहुलता, परंपराओं की विविधता, सामाजिक पहचान का एक जटिल जाल और विचारधाराओं की अव्यवस्था से चिह्नित है, संस्थागत शासन को मजबूत होने के लिए उनमें से प्रत्येक को समायोजित करना चाहिए।आलोचना और असहमति लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का केंद्र हैं।संस्थानों की प्रतिक्रियाशीलता काफी हद तक विभिन्न संदर्भों के प्रति ग्रहणशील होने और निरंतर जुड़ाव और संवाद की आवश्यकता के प्रति बोधगम्य होने की उनकी क्षमता से निर्धारित होती है।संवैधानिक झड़पें अस्वास्थ्यकर नहीं हैं।वे लोकतंत्र के लचीलेपन की परीक्षा लेते हैं।

व्यवहार में एक प्रणाली कितनी अच्छी तरह से काम करती है, यह उन लोगों की राजनीतिक कौशल पर निर्भर करता है जो उनके भीतर निर्णय लेने की स्थिति में हैं।इसलिए, ये मामले संविधान की व्याख्या के बारे में उतने ही हैं जितना कि वे लोकतांत्रिक शासन की संरचना में संस्थानों की भूमिका और उन लोगों की कमजोरियों के बारे में हैं जिन्हें नागरिकों की चिंताओं का जवाब देना चाहिए।"

19. वर्तमान मामले में विवाद अनिवार्य रूप से राज्यपाल पर निर्भर करता है कि उन्होंने 20 जून 2023 को विधानसभा द्वारा पारित किए गए चार विधेयकों को रोक लिया था।संविधान के अनुच्छेद 200 6 में कहा गया है कि जब कोई विधेयक किसी राज्य की विधान सभा द्वारा या द्विसदनीय विधानमंडल के मामले में दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है, तो उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।राज्यपाल के पास तीन विकल्प उपलब्ध होते हैं जब कोई विधेयक

6 जब किसी राज्य की विधान सभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य की स्थिति में कोई विधेयक राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया हो, तो उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषणा करेगा कि या तो वह विधेयक को मंजूरी देता है या वह उससे सहमति रोकता है या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता हैः

बशर्ते कि राज्यपाल, सहमति के लिए उसे विधेयक प्रस्तुत करने के बाद, जितनी जल्दी हो सके, विधेयक को वापस कर सकता है, यदि यह धन विधेयक नहीं है, एक संदेश के साथ यह अनुरोध करते हुए कि सदन या सदन विधेयक या उसके किसी विनिर्दिष्ट प्रावधानों पर पुनर्विचार करेंगे और विशेष रूप से, ऐसे किसी भी संशोधन को पेश करने की वांछनीयता पर विचार करेंगे जिसकी वह अपने संदेश में सिफारिश कर सकते हैं और जब कोई विधेयक इस तरह वापस किया जाता है, तो सदन या सदन तदनुसार विधेयक पर पुनर्विचार करेंगे, और यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है और राज्यपाल को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल उससे सहमति नहीं रोकेगाः

बशर्ते कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को मंजूरी नहीं देगा, लेकिन राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखेगा, जो राज्यपाल की राय में, यदि यह कानून बन जाता है, तो उच्च न्यायालय की शक्तियों का इतना अवमूल्यन करेगा कि उस स्थिति को खतरे में डाल देगा जिसे वह न्यायालय इस संविधान द्वारा अंतिम रूप देने के लिए बनाया गया है।

राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।राज्यपाल "घोषणा करेगा" (i) या तो वह विधेयक को मंजूरी देता है; या (ii) वह उससे सहमति रोकता है; या (iii) वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है।"घोषित करेगा" शब्द का तात्पर्य है कि राज्यपाल को अपनी शक्तियों के प्रयोग की घोषणा करने की आवश्यकता है।अनुच्छेद 200 के पहले प्रावधान में कहा गया है कि राज्यपाल "जितनी जल्दी हो सके" विधेयक को वापस कर सकते हैं।अनुच्छेद 200 के परंतुक में यह परिकल्पना की गई है कि राज्यपाल को सहमति के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के बाद वह जल्द से जल्द एक विधेयक वापस कर सकते हैं, जो धन विधेयक नहीं है, साथ में एक संदेश के साथ अनुरोध किया जा सकता है कि सदन या सदन विधेयक या विधेयक के किसी भी विशिष्ट प्रावधान पर पुनर्विचार करेंगे और विशेष रूप से ऐसे संशोधनों को पेश करने की वांछनीयता पर विचार करेंगे जिनकी वह सिफारिश कर सकते हैं।जब राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक वापस किया जाता है, तो राज्य का विधानमंडल विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य होता है। विधेयक के विधानमंडल द्वारा संशोधन के साथ या उसके बिना फिर से पारित किए जाने और सहमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद, राज्यपाल उसकी सहमति को नहीं रोकेगा।उपरोक्त शर्तों में पहले परंतुक के अलावा, दूसरे परंतुक में ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जहां "राज्यपाल उन विधेयकों पर सहमति नहीं देंगे, लेकिन राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखेंगे" जो "उच्च न्यायालय की शक्तियों का इतना अवमूल्यन करते हैं कि स्थिति को खतरे में डालते हैं" जिसे उच्च न्यायालय को संविधान द्वारा लागू करने के लिए बनाया गया है।20. वर्तमान मामला इस बात पर निर्भर करता है कि प्रथम परंतुक का अर्थ कैसे निकाला जाए।प्रथम परंतुक का अर्थ निकालने में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अनुच्छेद 200 का मूल भाग राज्यपाल को तीन विकल्प प्रदान करता हैःसहमति देने का विकल्प; स्वीकृति रोकने का विकल्प; और विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने का विकल्प।प्रथम परंतुक की शुरुआत दूसरे परंतुक के विपरीत "राज्यपाल अनुमति नहीं देगा" अभिव्यक्ति के साथ होती है।प्रथम परंतुक में "मई" इसलिए है क्योंकि प्रथम परंतुक मूल भाग का अनुसरण करता है जिसमें राज्यपाल के लिए तीन विकल्प होते हैं।प्रथम परंतुक प्रथम विकल्प (जहां राज्यपाल विधेयक को मंजूरी देता है) के योग्य नहीं है और न ही विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने वाला तीसरा विकल्प है। पहला परंतुक दूसरे विकल्प (सहमति को रोकना) से जुड़ा होता है और इसलिए एक सक्षम अभिव्यक्ति, "मई" के साथ शुरू होता है।दूसरे परंतुक के अधिदेश द्वारा, राज्यपाल पर एक विधेयक को मंजूरी देने पर प्रतिबंध है जो संविधान के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों का अपमान करता है। राज्यपाल को संविधान के अधिदेश के अनुसार इस तरह के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की आवश्यकता होती है।



21. दूसरा परंतुक उस विकल्प पर प्रभाव डालता है जो अनुच्छेद 200 के मूल भाग द्वारा राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को वहां परिकल्पित स्थिति में अनिवार्य बनाकर आरक्षित करने के लिए प्रदान किया गया है।राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को आरक्षित करने का विकल्प एक जनादेश में बदल जाता है जहां राज्यपाल के पास इसे राष्ट्रपति के विचार के

लिए आरक्षित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।इसलिए, दूसरा परंतुक उस विकल्प के लिए एक अपवाद की प्रकृति का है जो राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के मूल भाग द्वारा किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने के लिए दिया जाता है।

22. एक परंतुक, जैसा कि अच्छी तरह से तय किया गया है, एक अपवाद होने के उद्देश्य को पूरा कर सकता है।कभी-कभी, हालांकि, एक परंतुक एक स्पष्टीकरण के रूप में या एक क़ानून के मूल प्रावधान के अतिरिक्त हो सकता है।पहला परंतुक राज्यपाल को अनुमति देता है, जहां विधेयक एक धन विधेयक नहीं है, इसे एक संदेश के साथ विधायिका को वापस भेजने की अनुमति देता है।संदेश के संदर्भ में, राज्यपाल द्वारा विधायिका से पूरे विधेयक पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया जा सकता है।उदाहरण के लिए ऐसा तब हो सकता है जब राज्यपाल का मानना हो कि संपूर्ण विधेयक अनंत काल से पर्याप्त है।वैकल्पिक रूप से, राज्यपाल विधायिका से विधेयक के किसी भी विशिष्ट प्रावधान पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं।विधेयक को लौटाते समय राज्यपाल विधेयक में संशोधन पेश करने की इच्छा व्यक्त कर सकता है।संशोधन की वांछनीयता विधेयक में एक असंवेदनशीलता या अवज्ञा को ठीक करने की दृष्टि से उत्पन्न हो सकती है।प्रथम परंतुक के समापन भाग में हालांकि यह निर्धारित किया गया है कि यदि विधेयक को विधानमंडल द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है, तो राज्यपाल प्रस्तुत करने पर उसकी सहमति को नहीं रोकेगा।समापन वाक्यांश "इससे सहमति नहीं रोकेगा" एक स्पष्ट संकेत है कि पहले परंतुक के तहत शक्ति का प्रयोग राज्यपाल द्वारा पहली बार में विधेयक की सहमति को रोकने से संबंधित है।यही कारण है कि समापन भाग में, प्रथम परंतुक इंगित करता है कि विधानमंडल द्वारा संशोधन के साथ या उसके बिना विधेयक के पारित होने पर, राज्यपाल सहमति नहीं रोकेगा।राज्यपाल को प्रथम परंतुक द्वारा दी गई भूमिका प्रकृति में अनुशंसनीय है और यह राज्य विधानमंडल को बाध्य नहीं करती है।

23. यह सरकार के संसदीय रूप के मौलिक सिद्धांत के अनुरूप है जहां कानून बनाने की शक्ति लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपी जाती है।राज्यपाल, एक मार्गदर्शक राजनेता के रूप में,



विधेयक की संपूर्णता या उसके किसी भी भाग पर पुनर्विचार करने की सिफारिश कर सकते हैं और संशोधन पेश करने की वांछनीयता का भी संकेत दे सकते हैं।हालाँकि, संदेश में निहित राज्यपाल की सलाह को स्वीकार करना है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय केवल विधायिका का है।यह कि राज्यपाल का संदेश विधायिका को बाध्य नहीं करता है, "यदि विधेयक संशोधन के साथ या उसके बिना फिर से पारित किया जाता है" अभिव्यक्ति के उपयोग से स्पष्ट होता है।24. अनुच्छेद 200 का मूल भाग राज्यपाल को विधेयक की सहमति रोकने का अधिकार देता है।ऐसी स्थिति में, राज्यपाल को अनिवार्य रूप से उस कार्रवाई का पालन करना चाहिए जो राज्य विधानमंडल को "जितनी जल्दी हो सके" एक संदेश देने के पहले परंतुक में इंगित किया गया है जो विधेयक पर पुनर्विचार करने की गारंटी देता है।"जितनी जल्दी हो सके" अभिव्यक्ति का अर्थ है।यह अभियान की एक

संवैधानिक अनिवार्यता को दर्शाता है।निर्णय लेने में विफलता और किसी विधेयक को अनिश्चित अवधि के लिए विधिवत पारित करना उस अभिव्यक्ति के साथ असंगत कार्रवाई का एक तरीका है। संवैधानिक

भाषा अधिशेष नहीं है।तेलंगाना राज्य बनाम महामहिम की सचिव, तेलंगाना और अन्र राज्य के लिए माननीय राज्यपाल। 7 यह

अदालत ने कहा कि "जितनी जल्दी हो सके" अभिव्यक्ति में संवैधानिक सामग्री नहीं हो सकती है और इसे संवैधानिक अधिकारियों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए।" संविधान में स्पष्ट रूप से इस प्रावधान को उस महत्व को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया है जो विधान की शक्ति से जुड़ा हुआ है जो पूरी तरह से राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में है।राज्यपाल बिना किसी कार्रवाई के विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रखने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं।

25. राज्य के एक अनिर्बाचित प्रमुख के रूप में राज्यपाल को कुछ संवैधानिक शक्तियां सौंपी जाती हैं।हालाँकि, इस शक्ति का उपयोग राज्य विधानमंडलों द्वारा कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है।नतीजतन, यदि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के मूल भाग के तहत सहमति को रोकने का फैसला करता है, तो कार्रवाई का तार्किक तरीका विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को भेजने के पहले प्रावधान में इंगित पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना है।दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 200 के मूल भाग के तहत सहमति को रोकने की शक्ति को राज्यपाल द्वारा पहले परंतुक के तहत अपनाई जाने वाली परिणामी कार्रवाई के साथ पढ़ा जाना चाहिए।यदि प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त सहमति को रोकने की शक्ति के साथ नहीं पढ़ा जाता है

7 2023 793 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 333

पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल और अन्य के लिए प्रधान सचिव [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 794

अनुच्छेद 200 के मूल भाग में, राज्य के अनिर्बाचित प्रमुख के रूप में राज्यपाल एक विधिवत निर्वाचित विधायिका द्वारा विधायी क्षेत्र के कामकाज को वस्तुतः वीटो करने की स्थिति में होगा, केवल यह घोषणा करके कि बिना किसी आगे के उपाय के सहमति को रोक दिया गया है।इस तरह की कार्रवाई शासन के संसदीय स्वरूप पर आधारित संवैधानिक लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत होगी।इसलिए, जब राज्यपाल अनुच्छेद 200 के मूल भाग के तहत सहमति को रोकने का फैसला करता है, तो जिस कार्रवाई का पालन किया जाना है, वह वही है जो पहले परंतुक में इंगित किया गया है।राज्यपाल अनुच्छेद 168 8 के तहत विधायिका का एक हिस्सा है और संवैधानिक शासन से बंधा हुआ है।

26. जहाँ तक धन विधेयकों का संबंध है, पहले परंतुक के संदर्भ में किसी विधेयक को वापस करने की राज्यपाल की शक्ति को राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति के दायरे से बाहर रखा गया है।धन विधेयक अनुच्छेद 207 द्वारा शासित होते हैं जिसके संदर्भ में अनुच्छेद 199 के खंड (1) के खंड (ए) से (एफ) में निर्दिष्ट मामले पर विधेयक को पेश करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता होती है।

27. प्रत्यर्थी के वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि राज्यपाल ने लगभग 185 विधेयकों को मंजूरी दी है जो इंगित करता है कि विचाराधीन चार विधेयकों पर राज्यपाल की ओर से देरी केवल विधानसभा की बैठक की वैधता पर उनकी आपत्ति पर आधारित थी।विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि राज्यपाल ने तब से विधानसभा में तीन में से दो धन विधेयकों को पेश करने के लिए उनकी सिफारिश को मंजूरी दे दी है।जैसा कि हमने ऊपर कहा है, राज्यपाल को उन विधेयकों पर अपनी कार्रवाई रोकने की स्वतंत्रता नहीं है जो उनके समक्ष रखे गए हैं।उनके पास अनुच्छेद 200 के तहत अभिनिर्धारित तरीके से कार्य करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।इसके बावजूद, ये प्रस्तुतियाँ राज्यपाल की भूमिका को प्रभावित नहीं करती हैं।

8 अनुच्छेद 168।

राज्यों में विधानमंडलों का संविधान।- (1) प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल और (क) [आंध्र प्रदेश], [* * *], बिहार, [* * *] [मध्य प्रदेश], [* * * [, [महाराष्ट्र], [कर्नाटक] [* * *], [तमिलनाडु] [और उत्तर प्रदेश], दो सदन होंगे।

( ख) अन्य राज्यों में, एक सदन।(2) जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के दो सदन हैं, वहाँ एक को विधान परिषद और दूसरे को विधान सभा के रूप में जाना जाएगा और जहाँ केवल एक सदन है, वहाँ इसे विधान सभा के रूप में जाना जाएगा।



संविधान के तहत या लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य विधानमंडल द्वारा उन्हें भेजे गए विधेयकों पर निष्क्रियता को उचित ठहराएँ।

28. उपरोक्त को देखते हुए, पंजाब के राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई रोकने का अधिकार नहीं था और उन्हें "जितनी जल्दी हो सके" कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में, जैसा कि नीचे वर्णित है, अध्यक्ष के लिए विधानसभा को फिर से बुलाना कानूनी रूप से अनुमत था क्योंकि (ए) स्थगन और सत्रावसान के बीच अंतर है; और (बी) अध्यक्ष को सदन की प्रक्रिया को विनियमित करने का विशेष अधिकार क्षेत्र है।

बी. विधानसभा की एक बैठक को फिर से बुलाना, जिसे स्थगित नहीं किया गया है, कानून में अनुमत है और यह अध्यक्ष के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है।

**1.** स्थगन और सत्रावसान के बीच अंतर

29. संविधान के अनुच्छेद 174 में प्रावधान है कि राज्यपाल समय-समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक करने के लिए बुलाएगा, जैसा वह समझता है।तथापि, खंड (1) में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के लिए नियत तिथि के बीच छह महीने का हस्तक्षेप नहीं होगा।अनुच्छेद 174 का खंड (2) राज्यपाल को समय-समय पर (ए) सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्रावसान करने और (बी) विधानसभा को भंग करने का अधिकार देता है।इस प्रकार अनुच्छेद 174

विशिष्ट संवैधानिक अवधारणाओं का संदर्भ देता है, अर्थात्, स्थगित करने की शक्ति और भंग करने की शक्ति।

30. विशेष रूप से, अनुच्छेद 174 भी विधानमंडल की बैठक और विधानमंडल के सत्र के बीच अंतर करता है।इस प्रकार, दो बैठकों के बीच की अधिकतम अवधि को निर्दिष्ट करते हुए, अनुच्छेद 174 (1) में कहा गया है कि एक सत्र में विधानमंडल की अंतिम बैठक और अगले सत्र में इसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि के बीच छह महीने से अधिक समय नहीं गुजरना चाहिए।यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि एक सत्र में विधानमंडल की एक से अधिक बैठकें हो सकती हैं।संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत संसद के संबंध में भी इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं।31. कौल और शकधर ने संसद की प्रथा और प्रक्रिया (7 वीं संस्करण) पर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में उल्लेख किया है कि संविधान के अनुच्छेद 85 (2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश द्वारा संसद के सदन के सत्र की समाप्ति को सत्रावसान कहा जाता है।इसके अलावा, 795 में राष्ट्रपति



सदन का सत्रावसान करने की शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है।आमतौर पर, जैसा कि लेखकों ने नोट किया है, सत्रावसान सदन की बैठक के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद होता है।हालांकि, लेखक कई उदाहरणों को सूचीबद्ध करते हैं जहां सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद सत्रावसान नहीं किया जाता है और सदन की बैठकों को अध्यक्ष द्वारा फिर से बुलाया जाता है।लेखकों द्वारा चर्चा किए गए कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:(क) आठवीं लोकसभा का आठवां सत्र 23 मार्च 1987 को शुरू हुआ और 12 मई 1987 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।हालांकि, लोकसभा का सत्रावसान नहीं हुआ था।अध्यक्ष ने 27 जुलाई 1987 से लोकसभा की बैठकों को फिर से बुलाया जो 28 अगस्त 1987 तक जारी रही।12 मई 1987 को लोकसभा के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने से पहले और बाद के दो भागों को दो भागों में विभाजित एक सत्र का गठन माना गया था।आठवें सत्र के दूसरे भाग के समापन पर, लोकसभा को 28 अगस्त 1987 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था और 3 सितंबर 1987 को स्थगित कर दिया गया था; और

(ख) नौवीं लोकसभा का तीसरा सत्र 07 अगस्त 1990 को शुरू हुआ और 07 सितंबर 1990 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।हालांकि, लोकसभा का सत्रावसान नहीं हुआ था। अध्यक्ष ने 1 अक्टूबर 1990 से लोकसभा की बैठकों को फिर से बुलाया जो 5 अक्टूबर 1990 तक जारी रही।

32. सत्रावसान के बिना सदन की स्थगित बैठक को फिर से बुलाने की इसी तरह की घटनाएं (ए) आठवीं लोकसभा का चौदहवाँ सत्र जो 18 जुलाई 1989 को शुरू हुआ; (बी) ग्यारहवीं लोकसभा का पहला सत्र जो 22 मई 1996 को शुरू हुआ; (सी) तेरहवीं लोकसभा का चौदहवाँ सत्र जो 2 दिसंबर 2003 को शुरू हुआ; (डी) चौदहवीं लोकसभा का सातवां सत्र जो 16 फरवरी 2006 को शुरू हुआ, में भी पाई जा सकती हैं।

33. संविधान के अनुच्छेद 208 में प्रावधान है कि किसी राज्य के विधानमंडल का सदन संविधान के प्रावधानों, इसकी प्रक्रिया और इसके कार्य के संचालन के अधीन रहते हुए विनियमन के लिए नियम बना सकता है।पंजाब विधानसभा द्वारा बनाए गए प्रक्रिया नियमों में ऐसे प्रावधान हैं जो विचाराधीन विषय पर असर डालते हैं।नियम 2 में "सत्रावसान" का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) के तहत राज्यपाल के आदेश से सत्र का अंत करना है।नियम 3 में कहा गया है कि जब विधान का एक सत्र



संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत सभा बुलाई जाती है, सचिव राजपत्र में इसके संबंध में एक अधिसूचना जारी करेगा।नियम 7 के अनुसार, जब विधानसभा का सत्र स्थगित किया जाता है, तो सचिव राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगा और सदस्यों को सूचित करेगा।नियम 7 ए में कहा गया है कि सदन के सत्रावसान पर, किसी विधेयक को पेश करने के लिए अनुमति के लिए आगे बढ़ने के इरादे के नोटिसों के अलावा सभी लंबित नोटिस समाप्त हो जाएंगे।नियम 14 में प्रावधान है कि विधानसभा की बैठक का विधिवत गठन तब किया जाता है जब इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष या संविधान या नियमों के तहत बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सक्षम किसी अन्य सदस्य द्वारा की जाती है।नियम 14 ए में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 174 के प्रावधानों के अधीन, एक वित्तीय वर्ष में तीन सत्र होंगे, अर्थात् बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन/मानसून सत्र और विधानसभा का शीतकालीन सत्र और सभी सत्रों में बैठकों की कुल संख्या कुल मिलाकर चालीस से कम नहीं होगी। नियम 16 इस प्रकार प्रदान करता हैः

“संविधान के प्रावधानों और इन नियमों के अधीन विधानसभा (विधानसभा) को समय-समय पर अपने आदेश से स्थगित किया जा सकता हैः

बशर्ते कि विधानसभा (विधानसभा) को एक दिन या अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव अध्यक्ष के परामर्श के अलावा नहीं किया जाएगाः

बशर्ते कि अध्यक्ष, यदि मंत्री द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है कि लोक हित यह अपेक्षा करता है कि विधानसभा (विधानसभा) की बैठक स्थगन के दौरान किसी भी समय पहले होनी चाहिए और यदि वह संतुष्ट है कि लोक हित की आवश्यकता है, तो नोटिस दे सकता है कि वह इतना संतुष्ट है, और उस दिन से पहले विधानसभा (विधानसभा) की बैठक बुला सकता है जिस दिन इसे स्थगित किया गया है या अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद किसी भी समय।”

34. नियम 16 इंगित करता है कि विधानसभा को समय-समय पर अपने आदेश से स्थगित किया जा सकता है।हालाँकि यह संविधान और नियमों के प्रावधानों के अधीन है।प्रथम परंतुक के संदर्भ में, एक दिन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन के प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है।विशेष रूप से, दूसरे परंतुक के संदर्भ में, अध्यक्ष को जनहित में उस तारीख से

पहले या अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद किसी भी समय विधानसभा की बैठक बुलाने का अधिकार है।इसलिए, यह स्पष्ट है कि 797 के नियम



प्रक्रिया स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति को मान्यता देती है जहां अध्यक्ष विधानसभा की एक बैठक को फिर से बुलाता है जिसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है लेकिन स्थगित नहीं किया गया है।

35. अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद किसी भी तिथि पर विधानसभा की बैठक फिर से बुलाने के लिए अध्यक्ष को सशक्त करने वाला प्रावधान पंजाब विधानसभा के प्रक्रिया नियमों के लिए अद्वितीय नहीं है।विभिन्न राज्यों के लिए राज्य विधानमंडलों की प्रक्रिया नियमों की समीक्षा से संकेत मिलता है कि उनमें से लगभग सभी में एक समान या समान प्रावधान हैं।उदाहरण के लिए, राजस्थान, 9 हरियाणा, 10 तमिलनाडु, 11 केरल, 12 और पश्चिम बंगाल 13 के राज्य विधानमंडलों के लिए प्रक्रिया के नियम स्पष्ट रूप से अध्यक्ष को सदन की बैठक स्थगित होने के बाद किसी भी समय बुलाने की अनुमति देते हैं।इसी तरह का प्रावधान लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 15 (1) के पहले प्रावधान में भी निहित है।14 इसलिए, राज्य विधानमंडलों और संसद की प्रक्रिया के नियमों के लिए यह आम बात है कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद अध्यक्ष को सदन की बैठक बुलाने की अनुमति दी जाती है।

**36.** रामदास अठावले **(5)** बनाम भारत संघ और अन्य **15** में**,**

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने सदन के सत्रावसान और उसके स्थगन के बीच अंतर किया। न्यायालय ने कहा किः

“22. स्थगन एक ही सत्र के दौरान एक व्यवधान है, जबकि सत्रावसान एक सत्र को समाप्त कर देता है।द.

9 नियम 13, राजस्थान विधान सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम।

10 नियम 16, हरियाणा विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम।

11 नियम 26, तमिलनाडु विधान सभा नियम।

12 नियम 14, केरल विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम।

13 नियम 15, पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम।

14 15.सदन का स्थगन और पुनर्गठन की प्रक्रिया।- (1) अध्यक्ष उस समय का निर्धारण करेगा जब सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए या किसी विशेष दिन, या उसी दिन के एक घंटे या भाग के लिए स्थगित की जाएगीः

बशर्ते कि अध्यक्ष, यदि ऐसा सोचता है, तो उस तारीख या समय से पहले या सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद किसी भी समय सदन की बैठक बुला सकता है।

15 (2010) 4 एससीसी 1

सत्रावसान का प्रभाव संसद की सभी कार्यवाही को कुछ अपवादों के साथ समाप्त करना है।

…

23. मई के संसदीय अभ्यास में, जिसने इस विषय पर एक क्लासिक का दर्जा ग्रहण किया है और आमतौर पर संसदीय अभ्यास की एक आधिकारिक व्याख्या के रूप में माना जाता है, यह कहा गया है:

"सत्र संसद की बैठक, चाहे सत्रावसान या विघटन के बाद, और उसके सत्रावसान के बीच की अवधि है।सत्र के दौरान, कोई भी सदन अपने स्वयं के प्रस्ताव को स्थगित कर सकता है जिसे वह चाहे।संसद के सत्रावसान और नए सत्र में इसकी पुनः सभा के बीच की अवधि को 'अवकाश' कहा जाता है; जबकि किसी भी सदन के स्थगन और इसकी बैठक के फिर से शुरू होने के बीच की अवधि को आम तौर पर 'स्थगन' कहा जाता है।"

…

25. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब भी सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद फिर से शुरू होता है, तो अपना कार्य जारी रखने के उद्देश्य से इसे फिर से शुरू करना सत्र की शुरुआत नहीं है।इस मामले में सदन की फिर से शुरू की गई बैठक, 29-1-2004 पर, वर्ष 2004 में पहले सत्र की शुरुआत के बराबर नहीं है।

37. संविधान और स्थापित विधायी प्रथा अनिश्चित काल के लिए स्थगन और सदन के सत्र के सत्रावसान के बीच अंतर करते हैं।हमारे समक्ष मामले में विधानसभा को 22 मार्च 2023 को बिना सत्रावसान के स्थगित कर दिया गया था।इसलिए, अध्यक्ष को उसी सत्र के भीतर सदन की बैठकों को फिर से बुलाने का अधिकार था।

**2.** सदन की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए अध्यक्ष का विशेष अधिकार क्षेत्र

38. संविधान के अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 212 अदालतों को राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करने से रोकता है।संसद के संबंध में एक संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 122 में निहित है।रामदास अठावले (ऊपर) में निर्णय इस मायने में महत्वपूर्ण नहीं है कि यह 799 के अध्यक्ष की भूमिका पर निर्भर करता है।



सदन और संविधान के अनुच्छेद 122 की व्याख्या करता है।संविधान पीठ ने टिप्पणी की:

“31. अध्यक्ष सदन के विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है और सभी अवसरों पर उसका प्रवक्ता और प्रतिनिधि होता है।वह इसके नियमों और प्रक्रियाओं का दुभाषिया है, और बहस के पाठ्यक्रम को नियंत्रित करने और विनियमित करने और व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति के साथ निवेश किया जाता है।लोक सभा के कामकाज की प्रक्रिया और संचालन को विनियमित करने की शक्तियां सदन के अध्यक्ष में निहित हैं।अपने में निहित शक्तियों के आधार पर, अध्यक्ष ने लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 15 के तहत अपनी शक्ति का कथित प्रयोग करते हुए लोकसभा के महासचिव के माध्यम से दिनांक 2 का नोटिस जारी किया, जिसमें लोकसभा की बैठकों को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया, जिसे 1 तारीख को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।आई. डी. 1 पर फिर से शुरू की गई बैठक को अध्यक्ष द्वारा निर्देशित चौदहवें सत्र के दूसरे भाग के रूप में माना जाना था या नहीं, यह अनिवार्य रूप से विशुद्ध रूप से संसद की प्रक्रिया से संबंधित मामला है।अपनी बैठकों को फिर से शुरू करने के बाद सदन में की गई कार्यवाही और कार्य की वैधता का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक कार्यवाही में नहीं किया जा सकता है।”

39. न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 122 (2) के तहत, अध्यक्ष का निर्णय जिसमें प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने की शक्तियां निहित हैं, शून्य है और सदन के प्रत्येक सदस्य के लिए बाध्यकारी है।अतः, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अध्यक्ष द्वारा सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने और बाद में बैठकों को फिर से शुरू करने के निर्देश की वैधता की जांच प्रक्रिया की किसी भी अनियमितता के आधार पर नहीं की जा सकती है।न्यायालय ने दोहराया कि कार्य हुआ और अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार सदन की बैठकों को फिर से शुरू करने के बाद कार्यवाही की वैधता की अदालतों द्वारा जांच नहीं की जा सकती है।यह इस मौलिक सिद्धांत का पालन करता है कि विधायिका के प्रत्येक सदन का यह अधिकार है कि वह अपनी कार्यवाहियों की वैधता का एकमात्र न्यायाधीश हो ताकि वह न्यायालय के समक्ष चुनौती से मुक्त रहे।40. जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रक्रिया नियमों का नियम 16 विधानसभा को समय-समय पर अपने आदेश से स्थगित करने का अधिकार देता है।नियम 16 का पहला प्रावधान स्वीकार करता है कि विधानसभा का स्थगन या तो किसी विशेष दिन या अनिश्चित काल के लिए हो सकता है।एक अनिश्चितकालीन स्थगन यह मानता है कि विधान की बैठक की कोई विशिष्ट तिथि नहीं है।



सभा बुलाई जाती है।पहले परंतुक में विधानसभा के स्थगन के लिए इस संबंध में अध्यक्ष के साथ स्पष्ट परामर्श की आवश्यकता होती है।हालांकि, जब स्थगन होता है तब भी अध्यक्ष को जनहित में उस तारीख से पहले विधानसभा की बैठक बुलाने का काम सौंपा जाता है, जिस तारीख तक इसे स्थगित किया गया है।ये प्रावधान सदन के विधायी कार्य और इसके स्थगन से संबंधित मामलों, दोनों के संचालन में अध्यक्ष के नियंत्रण का एक स्पष्ट संकेतक हैं।

41. इसलिए, बिना सत्रावसान के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद विधानसभा की बैठक को फिर से बुलाना अध्यक्ष के लिए कानूनी रूप से अनुमत था।इसके अलावा, अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही के एकमात्र संरक्षक के रूप में सदन को स्थगित करने और फिर से बुलाने का अधिकार था।

42. यह निवेदन कि पंजाब राज्य द्वारा वर्तमान याचिका में मांगी गई घोषणा, अर्थात् विधानसभा के सत्रों और किए गए कार्य कानूनी थे, इंगित करता है कि पंजाब राज्य सत्रों की वैधता के बारे में अनिश्चित है, गलत धारणा है।घोषणा की मांग शून्य में नहीं की गई है, बल्कि कथित रूप से इस आधार पर कि सत्र अमान्य थे, विधेयकों पर राज्यपाल की निष्क्रियता के जवाब में की गई है। वास्तव में, जैसा कि पत्राचार से पता चलता है, पंजाब राज्य ने लगातार इस स्थिति को कायम रखा है कि विधानसभा के सत्र और उसमें किए गए कार्य कानूनी और संवैधानिक रूप से मान्य हैं।यह तथ्य कि एक याचिकाकर्ता ने घोषणात्मक राहत के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, याचिकाकर्ता के नुकसान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

43. सुनवाई के दौरान, पंजाब राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील से एक सवाल पूछा गया कि क्या वर्तमान मामले में अपनाई गई कार्रवाई का उपयोग सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगन को उचित ठहराने के लिए किया जा सकता है ताकि सदन के सत्रावसान को रोका जा सके।हमने विद्वान वकील से सवाल किया कि क्या सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की शक्ति का उपयोग पूरे वर्ष के लिए सदन के सत्रावसान को रोकने के लिए किया जा सकता है।इस सवाल के जवाब में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पंजाब राज्य के मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री अध्यक्ष को राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र जल्द से जल्द बुलाने की सलाह देंगे।डॉ. सिंघवी ने आग्रह किया कि वर्तमान मामले में जो कार्रवाई की गई है, वह 801 द्वारा सामना किए जाने वाले मतभेद के कारण है



राज्यपाल द्वारा सदन को बुलाने में सरकार।वकील ने उस स्थिति का उल्लेख किया जो तब उत्पन्न हुई जब राज्यपाल बजट सत्र के लिए विधानसभा को बुलाने में देरी कर रहे थे, जिसके कारण अंततः अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत के समक्ष कार्यवाही हुई।राज्य में जो उलझन पैदा हुई होगी, वह राजनीतिक कौशल और सहयोग से दूर हो गई होगी।

## IV. निष्कर्ष

44. ऊपर बताए गए अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि 19 जून 2023,20 जून 2023 और 20 अक्टूबर 2023 को आयोजित विधानसभा के सत्र की वैधता पर संदेह करने का कोई वैध संवैधानिक आधार नहीं है।विधानमंडल के सत्र पर संदेह करने का कोई भी प्रयास लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरों से भरा होगा।अध्यक्ष, जिन्हें सदन के विशेषाधिकारों के संरक्षक और सदन का प्रतिनिधित्व करने वाले संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त प्राधिकारी के रूप में मान्यता दी गई है, सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर

अच्छी तरह से काम कर रहे थे।सदन की पुनः बैठक प्रक्रिया नियमों के नियम 16 के दायरे में थी। सदन के सत्र की वैधता पर संदेह करना राज्यपाल के लिए एक संवैधानिक विकल्प नहीं है।विधान सभा में विधानमंडल के विधिवत निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।विधानसभा के कार्यकाल के दौरान, सदन उन निर्णयों द्वारा शासित होता है जो स्थगन और सत्रावसान के मामलों में अध्यक्ष द्वारा लिए जाते हैं।इसलिए हमारा विचार है कि पंजाब के राज्यपाल को अब उन विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए जो इस आधार पर सहमति के लिए प्रस्तुत किए गए हैं कि 19 जून 2023,20 जून 2023 और 20 अक्टूबर 2023 को आयोजित सदन की बैठक संवैधानिक रूप से वैध थी।

45. हम स्पष्ट करते हैं कि जिस तरह से राज्यपाल अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए विधेयकों पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगे, उसके संबंध में हमने कोई राय व्यक्त नहीं की है।हालाँकि, उसे संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधानों के अनुरूप तरीके से कार्य करना चाहिए।

46. याचिका का तदनुसार उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाएगा।47. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिका का निपटारा किया गया।

अंकित ज्ञान